

64/24

राजस्थान सरकार  
(कायदा विभाग)  
राजस्थान सरकार / विभागाध्यक्ष / कायदा

जनरल रुल्स सिविल रुल्स 129 अपेक्टेंस फॉर नंबर 8 के प्रमाणपत्र  
न्यायालय उपराष्ट्र धिकारी, विजिलिया जिला - भीलवाड़ा (राजस्थान स्टेट)  
2024/23 ✓

किसम मुकदमा	बार मु. दमा	तारीख दागर	रीख नकल नं.	परी दिनांक
1	2	3	4	5
✓	19/12	24/01/24		16/7/24 28/8/24 23/9/24
✓				25/9/24 29/10/24 20/11/24

राजस्थान की गैर-कॉर्ट  
आदेश को रोकने के लिए

प्रा  
फोटो

अनमान

श्री राजू खन्ना जारिहे एडवोकेट श्री VS अरुण जय्यार S/o  
गणेश जानी एडवोकेट

विश्वकर्मा

निवासी  
महाराष्ट्र

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / गोलान्त अधिवक्ता प्रतिवादी / विाधी / रेकोर्डेट

डिक्रीदार

मदयु।

श्री धरोहर खन्ना

श्री

# FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

शहरवाणी अदालत






बनाम

शकील अब्दुल

किरम मुकदमा 177

नम्बर 19

सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24 / 2024	<p>वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 2/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां                 </p>	
2/2/24	<p>उपरोक्त पत्र हरी पंकोशर सहाय उपस्थित/अपस्थित की कारण वानीब प्राप्त हुई, बिदे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उम्मेद मोहरा हुआ। दिनांक 9/2/24 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
9/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23/2/24 को वास्ते उ. आ. पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	
9-3/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/2/24 को वास्ते उ. आ. पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	
15/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. का दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/3/24 को वास्ते उ. आ. पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अला न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

नियम मुकदमा धारा..... बर्नामा..... प्रकरण संख्या.....

GCNIS नम्बर-.....

कारौख हुकम	हुकम या कारोवाही मय इनिशियल्स जना	नम्बर व तारीख अहकम जो इस हुकम को लागूत में जारी हए
------------	-----------------------------------	----------------------------------------------------

25/9/14	पञावली केरा इरी पञावली मारुते ओर उगाभा केरा इरी पञावली के केरा इरी	3
---------	--------------------------------------------------------------------	---

29/10/14

न्यायला फर हई आर न्यायक बोदी / प्रवेकन उपस्थित श्रीमान पी. सी. कोरे पर ह। प्रवेकनी दिनांक 29/10/14 मारुते उगाभा केरा इरी

*उपखण्ड अधिकारी*

20/11/14

पञावली केरा इरी परोशर एरशर उगरेवदु । पञावली से उरी मरिनी की उगा पञावली से मरिनी उरुत खेन सिखतरा गया एवं उरुत खेन से उगाए गए । पञावली केरा इरी से उगाए गए । पञावली केरा इरी से उगाए गए । पञावली केरा इरी से उगाए गए ।

**उप खण्ड अधिकारी**  
**विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा**

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

बड़जलास श्री अजीत सिंह राठौड़ ( आर.ए.एस )

वादपत्र संख्या 19/2024

दायर तारीख 24.01.2024

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।  
.....डिक्रीदार

बनाम्

01. अब्दुलजब्बार पुत्र गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. अब्दुलरहमान पुत्र गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
03. मुनिरमोहम्मद पुत्र गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
04. मुबारिक गफुर पुत्र 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
05. नाबालिक मोहम्मद रफीक पुत्र गफुर संरक्षक सरपरत हलिमा बैवा गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
06. मोहम्मदहारून पुत्र गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
07. हलिमा पत्नि गफुर 1/7 जाति मुसलमान निवासी नयानगर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....मदयून

उपस्थित :- 01. पैरोकार सरकार।

..डिक्रीदार

02. एकपक्षीय

... मदयून

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 20/11/2024

डिक्री दिनांक 20/11/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर भू.अभि.निरिक्षक सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाता संख्या 53 में अंकित खसरा संख्या 1211/124 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टैयर भूमि वर्गीकरण बंजड़ कुल किता 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टैयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।



( अजीत सिंह राठौड़ )  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

लगातार पेज संख्या 02 पर

नीज ..... Nil  
 ब्राबर्त ..... Nil  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... Nil  
 आज की तारीख से तारीख वसूलायारी तक ..... Nil  
 फीस दी सालाना का अदा करे ।

बसल मेरे दरताखत व मुहर अदागत के आज तारीख 20 माह 11 वर्ष 2024 को जारी किया गया ।

( अजीत सिंह रावैड )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बिजौलियां



मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायाला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महानताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर ब्राबर्त इजराय हुकमनामा मुनफरिक			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महानताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर ब्राबर्त इजराय हुकमनामा मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

( अजीत सिंह रावैड )  
 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां



पेज संख्या 02

पत्रावली में प्रतिवादीगणों की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। वादी तहसीलदार बिजौलियां द्वारा दरस्तावेजों एवं साक्ष्य के रूप में भू.अभि.निरिक्षक सलावटिया व पटवारी नयानगर द्वारा प्रमाणित मौका पर्चा, नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, गुगल मैप इमेज, जी.पी.एस. फोटोग्राफ पेश किए जो पत्रावली के साथ संलग्न हैं। वादी की तरफ से परोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण में वादी तहसीलदार बिजौलियां ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं परोकार सरकार की एक तरफा बहस पर मनन किया। एवं पत्रावली के साथ संलग्न दरस्तावेजों एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं दरस्तावेजों व परोकार सरकार की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय प्रतिवादीगणों की अग्रलिखित आराजीयात को खरीज कर ग्राम नयानगर के खसरा नम्बर 1211/124 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी मण्डल नयानगर भू.अभिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नयानगर पटवार मण्डल नयानगर भू.अभि.नि.क्षेत्र. सलावटिया तहसील बिजौलियां स्थित खाला संख्या 53 में अंकित खसरा संख्या 1211/124 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि बंजड़ कुल किला 01 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि में अवैध खनन (नलबा /रलाव पड़ा हुआ है) किये जाने से उक्त खसरा 1211/124 क्षेत्रफल 0.1619 हैक्टयर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को तहशिर जारी की जावे।

आदेश आज दिनांक **20/11/2024** को पुश्क से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अजीत सिंह रावौड़ )  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

